



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052020-219655
CG-DL-E-29052020-219655

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2020/ज्येष्ठ 8, 1942

No. 253]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2020/JYAISTHA 8, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2020

सं. 10/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 330(अ).—जहां कि थाईलैंड में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “एक्रिलिक फाइबर” जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 55 के अंतर्गत आता है, पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 1 जून, 2015, जिसे सा.का.नि. 445 (अ), दिनांक 1 जून, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/18/2019-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितम्बर, 2019, जिसे दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और इस प्रतिपाटन शुल्क

को उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार 6 महीने की और अवधि तक जारी रखने का अनुरोध किया है;

अतः अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 1 जून, 2015, जिसे सा.का.नि. 445 (अ), दिनांक 1 जून, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) तालिका में, क्रम संख्या 5, 6 और 7 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) अनुच्छेद 2 के पश्चात, निम्नलिखित अनुच्छेद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3. ऊपर निहित किसी भी बात के बावजूद, यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।”।

[फा. सं. 354/48/2002-टीआरयू (पार्ट-II)]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2020

No. 10/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 330(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 7/18/2019-DGTR dated 30th September, 2019, published in Gazette of India, Extraordinary Part I, Section 1 of the, dated the 30th September, 2019, had initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on Acrylic Fibre, falling under chapter 55 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from Thailand imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2015-Customs (ADD) dated the 1st June, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 445 (E), dated the 1st June, 2015, and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of six months, in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.

27/2015-Customs (ADD), dated the 1st June, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 445 (E), dated the 1st June, 2015, namely: -

In the said notification, -

(i) in the Table, serial numbers 5, 6 and 7 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“3. Notwithstanding anything contained hereinabove, this notification shall remain in force up to and inclusive of the 30th day of November, 2020.”.

[F. No. 354/48/2002-TRU (Pt-II)]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.